

प्रारूप-1

{ (नियम-3 का उपनियम (1)) }

सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रारम्भिक अधिसूचना

एस0आई0ए0 अधिसूचना

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्र के ग्राम स्तर के सम्बन्धित पंचायत से परामर्श करके निम्नांकित भूमि के अर्जन का प्रयोजन करेगी और लोक हित में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन को क्रियान्वित करेगी। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-4 में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत अध्ययन किया जायेगा।

- **अपेक्षक निकाय का नाम-** उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) लखनऊ।
- **प्रस्तावित भूमि के अर्जन का उद्देश्य-** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (ग्रीनफील्ड परियोजना) का निर्माण।
- **संगठन जिसके द्वारा अध्ययन किया जायेगा-** गिरि विकास अध्ययन संस्थान, सेक्टर-'ओ', अलीगंज हाउसिंग स्कीम, लखनऊ।
- **संगठन का सम्पर्क विवरण-** निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, सेक्टर-ओ, अलीगंज हाउसिंग स्कीम, लखनऊ। दूरभाष: 0522-2321860, 2325021, 2334059, 2324294 फैक्स: 0522-2332640
- **भूमि का विवरण-**

| जिला | तहसील | ग्राम | गाटा संख्या | अर्जित क्षेत्रफल (हे0) |
|----------------------|-----------|---------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| फैजाबाद | मिल्कीपुर | पूरे लाल खां | 12 | 0.3400 |
| योग- | | | 1किता | 0.3400 |
| फैजाबाद | मिल्कीपुर | इमामगंज | 415 | 0.1100 |
| | | | 412 | 0.0084 |
| योग- | | | 2किता | 0.1184 |
| फैजाबाद | मिल्कीपुर | मेवापुर मु0 देवगांव | 764 | 0.1180 |
| | | | 770 | 0.0011 |
| | | | 835 | 0.0020 |
| योग- | | | 3किता | 0.1211 |
| फैजाबाद | मिल्कीपुर | इदिलपुर | 94क | 0.00776 |
| | | | 109 | 0.1575 |
| | | | 94ख | 0.00844 |
| | | | 95 | 0.00422 |
| | | | 377 | 0.1800 |
| | | | 729 | 0.0880 |
| | | | 1029 | 0.0253 |
| | | | 1040 | 0.0575 |
| | | | 1039 | 0.04512 |
| | | | 357 | 0.00067 |
| योग- | | | 10किता | 0.57451 |
| सम्पूर्ण योग- | | | 16किता | 1.15401 |

- प्रस्तावित परियोजना से होने वाले लाभ तथा संक्षिप्त विवरण- प्रस्तावित परियोजना प्रदेश की राजधानी से पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने हेतु एक्सप्रेसवे के निर्माण सम्बन्धी है। इस परियोजना के



(कलेक्टर) प्रिन्सिपल ऑफिस (कलेक्टर) फ़ैजाबाद


पूर्ण होने से प्रादेशिक राजधानी से मे पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहुँच सुगमता व सरलता पूर्वक समय में पूर्ण हो जायेगी।

- परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्रफल—प्रस्तावित परियोजना के सरंखण में जनपद फ़ैजाबाद की 1.15401 हे0 भूमि प्रभावित हो रही है।
- क्या ग्राम सभा और/अथवा भू-स्वामी की सहमति की आवश्यकता है— प्रस्तावित निजी भूमि को अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अर्जित किया जाना प्रस्तावित है।
- सामाजिक समाघात निर्धारण की पूर्ण होने की तिथि—सामाजिक समाघात निर्धारण नियमानुसार 06 माह की अवधि में पूर्ण कराया जाना अपेक्षित है।

टिप्पणी:-कलेक्टर (भूमि अर्जन परियोजनार्थ) फ़ैजाबाद के कार्यालय में सभी कार्यदिवसों में विस्तृत विवरण देखा जा सकता है।



आज्ञा से


समुचित सरकार/
कलेक्टर, फ़ैजाबाद।